बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–10 फसल/प्रक्षेत्र–14 /2018 484. /कृ0, पटना, दिनांक 23/4/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) **अनौपचारिक रूप** द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**
से परामर्शित।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु कुल 2170.37997 लाख (इक्कीस करोड़ सत्तर लाख सैतीस हजार नौ सौ सन्तानवे रूपये) मात्र से राज्य स्कीम अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश:– स्वीकृत।

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु कुल 2170.37997 लाख रूपये (इक्कीस करोड़ सत्तर लाख सैतीस हजार नौ सौ सन्तानवे रूपये) मात्र से योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों को आदर्श प्रक्षेत्रों के रूप में विकसित करना है। स्थानीय किसानों के लिए प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण के रूप में विकसित करना, बीज उत्पादन /उत्पादकता में वृद्धि करना, बीज के गुणवत्ता में वृद्धि करना, किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित करना, जैविक खेती से बीज उत्पादन करना तथा उत्तम किस्म के बीज उत्पादन करना है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण का कार्यक्रम निम्नप्रकार है–

मद (Items)	अनुमोदित मानक प्राक्कलन की राशि (रूपये में)	अनुमोदन की तिथि	ईकाई (संख्या)	कुल राशि (रूपये में)
थ्रेसिंग फर्श	586000.00	28.04.2016	2	1172000
तालाब	2559200.00	22.06.2017	4	10236800
चाहरदीवारी	6295.00 (प्रति मीटर)	28.04.2016	30426.473 मीटर (16 प्रक्षेत्र)	191534648
गोदाम	1566061.00	22.06.2017	9	14094549
कुल				217037997

कुल राशि :– 217037997

4. उपर्युक्त मदों से संबन्धित स्वीकृत राशि की विवरणी अनुसूचि–1 पर संलग्न है।

5. अनुसूची 1 के अनुसार राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी फार्म–BTC–61 पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बामेती से प्राप्त प्री–रीसीट के आधार पर सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बामेती के पी0 एल0 खाता संख्या–278 में अंतरित की जायेगी। निदेशक बामेती के द्वारा कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र के परामर्श के अनुसार संबन्धित कार्यान्वयन एजेंसी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अभियंत्रण संभाग को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर का अभियंत्रण संभाग, प्रक्षेत्रों के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा (अनुसूची–2 संलग्न)।

7. वित्तीय सीमा के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

8. राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के आधारभूत संरचना के निर्माण का कार्य मुख्य अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप प्रक्षेत्रों पर चाहरदीवारी निर्माण, तालाब का निर्माण, थ्रेसिंग फलोर का निर्माण एवं गोदाम का निर्माण कराया जायेगा (अनुसूची–3 क,ख,ग एवं घ संलग्न)।

9. आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन अनुदेश में संशोधन/समावेश प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

10. वर्ष 2018–19 के लिए बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :–

(लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–बीज, मांग संख्या–01, उपशीर्ष –0109–बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड 01–2401001030109, विषय शीर्ष–0109.27.01 लघु कार्य	3320.00	1801.41997
मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष –0117–बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड 01–2401007890117, विषयशीर्ष–0117.27.01 लघु कार्य	640.00	347.26000
मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0140–बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड 01–2401007960140 विषय शीर्ष– 0140.27.01 लघु कार्य	40.00	21.7037997
कुल	4000.00	2170.37997

(इक्कीस करोड़ सत्तर लाख सैतीस हजार नौ सौ सन्तानवे रूपये)

11. योजना की स्वीकृति में विभागीय स्थाई वित्त समिति की अनुशंसा संचिका संख्या 10 फसल/प्रक्षेत्र–14/2018 के पृ0 सं0 188/प0 पर दिनांक 24.10.2018 को प्राप्त है।

12. वित्त विभाग संकल्प सं0–3758 दिनांक–31.05.2018 प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में माननीय मंत्री कृषि एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन संचिाक संख्या 10 फसल /प्रक्षेत्र–14/2018 के पृष्ठ सं055 एवं 60/टि0 पर प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. योजना प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10 फसल /प्रक्षेत्र–14/2018 के पृ0सं0–72/टि0 पर दिनांक 14.01.2019 को प्राप्त है जिसका डायरी सं0 –08 एवं तिथि 11.01.2019 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
Rabindra
21.1.19
(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–10 फसल/प्रक्षेत्र–14 /2018 484 /कृ0, पटना, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindas 21.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–10 फसल/प्रक्षेत्र–14 /2018 484 /कृ0, पटना, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindas 21.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–10 फसल/प्रक्षेत्र–14 /2018 484 /कृ0, पटना, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindas 21.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–10 फसल/प्रक्षेत्र–14/2018 484 /कृ0, पटना, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपिः– 1. माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव कृषि विभाग के आप्त सचिव /कृषि निदेशक, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना /आई0टी0 मैनेजर कृषि विभाग, बिहार पटना को विभाग के वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी विकास भवन नया सचिवालय, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

Rdeindas 21.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

कृषि निदेशालय, बिहार

वर्ष 2018–19 में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु पक्का चाहरदीवारी के निर्माण, गोदाम निर्माण, थ्रेसिंग फ्लोर एवं तालाब निर्माण के लिए राशि की आवश्यकता

राशि रूपया में

क्र0 सं0	अनुमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	गोदाम (200MT) (@ Rs1566061 रू0 प्रति ईकाई)		चाहर दीवारी (@Rs 6295 रू0 प्रति मीटर)		थ्रेसिंग फ्लोर (@Rs 586000 रू0 प्रति ईकाई)		तालाब (@Rs 2559200 रू0 प्रति ईकाई)		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल (रूपया में)
			भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (रूपया में)	भौतिक (लम्बाई मीटर में)	वित्तीय (रूपया में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (रूपया में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (रूपया में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	दानापुर	पालीगंज							1	2559200	2124236	409392	25572	2559200
2	आरा	बड़हारा	1	1566061	2170	13660150					12637855	2436194	152162	15226211
3	बक्सर	सिंघावान्ध	1	1566061	1752	11028840					10453868	2015184	125849	12594901
4	सासाराम	चेनारी	1	1566061	1940	12212300					11436099	2204538	137724	13778361
5		सुन्दरपुर	1	1566061							1299931	250570	15560	1566061
6		रामपुर	1	1566061							1299831	250570	15660	1566061
7	शेरघाटी	डुमरिया	1	1566061	2033	12797735			1	2559200	14046086	2707680	169230	16922996
8	गया	खिंजर			2021	12722195					10559422	2035551	127222	12722195
9		बेलागंज					1	586000			486380	93760	5860	586000
10		टेकारी	1	1566061							1299831	250570	15660	1566061
11		अतरी			2048	12892160					10700492	2062746	128922	12892160
12		बजीरगंज			1610	10134950					8412009	1621591	101350	10134950
13	नवादा	अकबरपुर			1388	8737460					7252092	1397993	87375	8737460
14	जिला प्रक्षेत्र नवादा	जिला प्रक्षेत्र नवादा							1	2559200	2124136	409472	25592	2559200
15	नवादा	सिरदला			2082	13106190					10878138	2096990	131062	13106190
16	नवादा	नरहट			2101.473	13228773			1	2559200	13104017	2526076	157880	15787973
17	नवादा	वारसलीगंज	1	1566061	1388	8737460					8551922	1648564	103035	10303521
18	औरंगाबाद	रफीगंज			2062	12980290					10773641	2076846	129803	12980290
19		दाउदनगर			2082	13106190					10878138	2096990	131062	13106190
20	सिवान	आन्दर			*2151	13540545					11238652	2166488	135405	13540545
21		दरौदा			2179	13716805					11384948	2194689	137168	13716805
22	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	कांटी	1	1566061	1419	8932605	1	586000			9200273	1773546	110847	11084666
	कुल :-		9	14094549	30426.473	191534648	2	1172000.00	4	10236800	180141997	34726000	2170000	217037997

नोट– योजना लागत 217037997 रूपये का सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिए कर्णाकिंत राशि (83:16:1) के अनुसार 180141537, 34726080 एवं 7170380 रूपये होता है लेकिन बजट में उपलब्ध राशि के अनुरूप सामान्य में 180141997 अनुसूचित जाति के लिए 34726000 एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 2170000 रूपये स्वीकृति का प्रस्ताव है।

4/1/2019

उप निदेशक(शष्य) प्रक्षेत्र

बिहार, पटना।